**रजिस्टर्ड/सील्ड**

**उत्तर प्रदेश शासन**

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2**

**संख्या-160/2017/1731/22-2-2016-17(81)/2008**

**लखनऊ:दिनांक: 16 मार्च, 2017**

**आदेश**

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ** के सिद्धदोष **बन्दी निर्मलेश कुमार (बन्दी संख्या-18292) पुत्र श्री मूलचन्द्र, निवासी-झज्जर (झाझार), थाना-कोतवाली बिसवां, जिला-सीतापुर,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-153/1981** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/34, 201/34** के अधीन **दिनांक 18-05-1982** को मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

**संख्या-160/2017/1731(1)/22-2-2016 तद्दिनांक :**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2-जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

3-पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।

4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।

5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in